न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक
(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 43 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 17.07.2021

देवीलाल पुत्र अमरलाल जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक
—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0
—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1257 दिनांक 02.07.2019 वाके ग्राम उखलाना तहसीलदार उनियारा

उपस्थिति —(1) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 14.11.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 02.07.2019 को मृतक खातेदार रामपाल पुत्र छोटा जाति बैरवा निवासी अलीगढ तहसील उनियारा की विरासत का नामान्तरकरण सं0 1257 को खारिज किया गया है। उक्त नामान्तकरण मे मृतक रामपाल के अपीलांट के अलावा भी अन्य वारिसान होने से खारिज किया गया है, जो विधि विधान एंव तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई तथा प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 1359 रकबा 1.38 है0 व खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम उखलाना मे स्थित है। अपीलांट के चाचा रामपाल का 1/4 हिस्सा है। अपीलांट के अतिरिक्त रामपाल का अन्य कोई विधिक वारिस व उत्तराधिकारी नही है। अपीलांट के पिता अमरलाल एंव उनके भाई सेवालाल व रामलाल की भी मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट के चाचा सेवालाल व रामपाल अविवाहित लाऔलाद फौत हो गये है। अपीलांट के पिता ही अपने भाई सेवालाल व रामपाल की [illegible] सम्पत्ति का एक मात्र मालिक एंव उत्तराधिकारी है। अपीलांट हिन्दू [illegible] के तहत अपने चाचा का विधिक उत्तराधिकारी एंव वारिस है और उसकी [illegible] प्रकार की चल अचल सम्पत्ति की सार—संभाल कर रहा है। अपीलांट द्वारा अपने चाचा रामपाल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने पक्ष मे खोले जाने बाबत प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट को प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 26.07.2018 को मौका पर्चा ग्रामवासियो के समक्ष तैयार किया,जिसमे अपीलांट को ही विरासत के आधार पर मालिक एंव स्वामी मानते हुये अपीलांट के पक्ष मे उक्त नामान्तकरण खोला गया है,परन्तु पटवारी का स्थानान्तरण होने के कारण नव पदस्थापित पटवारी ने वारिसान की जांच धारा 135 मे किये जाने का उल्लेख करते हुये नामान्तकरण पर नोट अंकित किया है जो गलत है। अतः नामान्तकरण को अपीलांट के पक्ष मे बहाल रखा जाना न्यायोचित है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 1257 दिनांक 02.07.2019 पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी अकेला इसका वारीस नही है का नोट अंकित किया है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी रिपोर्ट मे मृतक के उचित वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नही होना अंकित किया है। अतः तहसीलदार उनियारा का आदेश दिनांक 02.07.2019 को निरस्त कर पुनःवारिसान की जांच करवाये जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1257 दिनांक 02.07.2019 वाके ग्राम उखलाना तहसील उनियारा में रामपाल पुत्र छोटा जाति बैरवा सा. अलीगढ खातेदार की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण रामपाल के वारिस देवीलाल पुत्र अमरलाल जाति बैरवा निवासी अलीगढ खातेदार के नाम स्वीकार किया गया है।

नामान्तकरण परत पर पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोट मे प्रार्थी अकेला वारीस नही है,मृतक के उचित वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नही होने का नोट अंकित किया है। राजकीय पेरोकार ने भी अपनी बहस मे तहसीलदार उनियारा का आदेश दिनांक 02.07.2019 को निरस्त कर पुनःवारिसान की जांच करवाये जाना न्यायोचित माना है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार उनियारा द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1257 दिनांक 02.07.2019 वाके ग्राम उखलाना तहसील उनियारा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात की जांच कर तथा मृतक के वारिसान की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:45 IST
Reason: SelfAttested